जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 09.08.2022

आज दिनांक 09.08.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्र** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 471 / 2022 धारा 376 भादवि व 3 / 4 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता विशाल कुमार पुत्र ज्ञानदास निवासी डड़वा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 05.08.2022 को वादी की नाबालिग पुत्र के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता देखते हुए कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी कांटे उ0नि0 श्री श्याममोहन, कां0 राहुल यादव।

890 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षो को दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में **थाना धनघटा** पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण / चेकिंग के दौरान अभियुक्त अर्जुन पुत्र राजवंश निवासी बहादुरपुर बलाल थाना कलवारी जनपद बस्ती को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 890 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना धनघटा पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अर्जुन पुत्र राजवंश निवासी बहादुरपुर बलाल थाना कलवारी जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 400 / 2022, धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल –
उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, हे0कां0 रामनक्षत्र भारती, कां0 रामानन्द सिंह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत व विवाद में घायल 02 लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत घोरांग से इवेन्ट संख्या 09150 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद / मारपीट होने से 02 लोगों के घायल होने के संबंध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 02 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराया गया व विवाद में घायल लोगों को 108 एम्बुलेंस से प्रा0स्वा0केन्द्र मलौली भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर व विवाद में घायल लोगों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
पीआरवी स्टाफ – आरक्षी देवेन्द्र कुमार, आरक्षी बृजेश यादव, हो0चा0 मेजर यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 32 वाहनो से 28,000 रु0 सम्मन वसूल किया गया

आज दिनांक 09.08.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 32 वाहनों से 28,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया।